यह निरीक्षण प्रतिवेदनकार्यालय **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल (भीमताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल (भीमताल) के माह 06/2016से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश डोभाल, श्री घनश्याम पाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 21/02/2019 से 26/02/2019 तक श्री आर0एल0 शर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण दिनांक- 21/02/2019 से 23/02/2019 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर0एन0 यादव, श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो एवं श्री शेखर वर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20/06/2016 से 27/06/2016 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2013 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद नैनीताल के अंतर्गत पशु चिकित्सालयों/पशु सेवक केन्द्रों के माध्यम से पालतू पशुओं की चिकित्सा, बाधिकारण, टिकाकरण एवं अन्य कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	157.38	157.38	374.50	374.50		
2016-17	-	-	164.72	164.72	397.98	397.98	-	-
2017-18	-	-	212.31	212.31	324.60	324.60	-	-
2018-19 (up to 01/2019)	-	-	233.59	182.12	228.35	154.41	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित/राज्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2015-16	के0पो0योजना तथा राज्य योजना		63.86	63.86		
2016-17	के0पो0योजना तथा राज्य योजना	-	103.78	103.78	-	-
2017-18	के0पो0योजना तथा राज्य योजना	-	124.11	124.11	-	-
2018-19 (up to 01/2019)	के0पो0योजना तथा राज्य योजना	-	86.37	54.19	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। इकाई 'सी' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड

निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड, देहारादून

अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ क्षेत्र, नैनीताल

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, नैनीताल (भीमताल)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल (भीमताल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल (भीमताल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल (भीमताल)** द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक 27/10/2018 का निरीक्षण किया गया।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:1- `21.84 लाख की जमानत धनराशि जमा नही किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार क्रय करते समय विक्रेता से जमानत राशि (Performance Security) के रूप मे 5 से 10 प्रतिशत की धनराशि आपूर्ति कर्ता की धरोहर के रूप मे रखी जाएगी। एवं कार्यालय निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून के द्वारा भी जारी विभिन्न आपूर्ति क्रयादेश मे स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि क्रय की जा रही औषधि/सामाग्री के 10 प्रतिशत मूल्य की जमानत राशि एफ0डी0आर0/ड्राफ़्ट/बैंक गारंटी के रूप मे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल, उत्तराखंड को उपलब्ध कराये। उक्त के अतिरिक्त औषिधियों/ वैक्सीन खरीद एवं आपूर्ति से संबन्धित पत्रावली/पंजिका की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि 2016-17 से जनवरी 2019 तक कुल 237.11 लाख की औषिधियों/ वैक्सीन खरीदी गयी थी। इस प्रकार कुल `23.71 लाख की जमानत धनराशि जमा की जानी चाहिए थी। कार्यालय के आपूर्ति क्रयादेश पत्रावली की जांच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा केवल `1.87 लाख की जमानत राशि ही जमा की गयी।

इस संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि केवल `1.87 लाख की जमानत राशि ही जमा की गयी। इस प्रकार `21.84 लाख की जमानत राशि कम जमा की गयी।

अत: कार्यालय द्वारा औषिधियों/ वैक्सीन विक्रेताओं से `21.84 लाख की कम जमानत धनराशि जमा किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तरः-2 : गलत वेतन निर्धारण के कारण धनराशि ₹31474 के वेतन एवं भत्तो का अधिक भुगतान।

कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, नैनीताल के अभिलेखो/सेवापुस्तिकाओ की नमूना जांच (02/2019) में पाया गया कि इसी कार्यालय में कार्यरत श्री गेंदा सिंह/वै॰ सहायक को 7वे वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण कर वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जा रहा है। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

श्री गेंदा सिंह का दिनांक 31.12.15 को मूलवेतन + ग्रेड वेतन 8910+2800=11710 था जबकि दिनांक **01.01.2016** को 7वे वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण 9270+2800=12070 के मूलवेतन से किया गया। जो उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 7(1)क(i) के अनुसार गलत है।

उपरोक्त की वजय से दिनांक 01.01.2016 को इनका मूलवेतन गलत निर्धारित किया गया परंतु इस तिथि से दिये जाने वाले मूलवेतन की प्रविष्टि इनकी सेवापुस्तिका में नहीं पायी गयी। दिनांक 01.07.2016 से निर्धारित मूलवेतन (31900) की प्रविष्टि सेवापुस्तिका में पायी गयी जोकि लेखापरीक्षा जांच में गलत पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा गणना करने पर 01.01.16 से दिया जाने वाला मूलवेतन 30100 एवं 01.07.2017 (वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि) से दिया जाने वाला मूलवेतन 31000 पाया गया।

***(लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना-** 31.12.2015 को मूलवेतन=8910, जीपी=2800, कुल योग=11710*2.57= 30095, next higher 30100)*

उपरोक्त के क्रम में ही इनकी सेवापुस्तिका में आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों 01.07.2017 एवं 01.07.2018 को निर्धारित मूलवेतन क्रमशः 32900 एवं 33900 पाया गया। जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार इनको 01.07.2017 से 31900 एवं 01.07.2018 से 32900 का मूलवेतन दिया जाना चाहिए था।

इस गलत वेतन निर्धारण की वजय से इन्हे जुलाई 2016 से जून 2017 तक 31900, जुलाई 2017 से जून 2018 तक 32900 एवं जुलाई 2018 से जनवरी 2019 तक 33900 के मूलवेतन के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया गया। जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार इन्हे जुलाई 2016 से जून 2017 तक 31000, जुलाई 2017 से जून 2018 तक 31900 एवं जुलाई 2018 से जनवरी 2019 तक 32900 के मूलवेतन के पर वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जाना चाहिए था।

(जनवरी 2016 से जून 2016 तक 7वे वेतनमान में इन्हे किस मूलवेतन पर वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया गया इसकी न तो सेवापुस्तिका में प्रविष्टि है और न ही कार्यालय द्वारा भुगतान का कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया)

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण एवं उसके अनुसार भुगतान के कारण इनको जुलाई 2016 से जनवरी 2019 तक **धनराशि ₹31474 के वेतन एवं महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान** किया जा चुका है। *(अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है, इसमे 7वे वेतनमान में जनवरी 2016 से जून 2016 तक भुगतान किए गए वेतन का समायोजन शामिल नहीं है।*

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने अपने उत्तर मे बताया कि त्रुटिवश हुये गलत वेतन निर्धारण की जांच कर, शासनादेश में निर्धारित नियमानुसार संशोधन कर वेतन निर्धारण किया जाएगा तथा वेतन निर्धारण के उपरांत अधिक/कम धनराशि का समायोजन कर लिया जाएगा। कार्यालय के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। **अत: गलत वेतन निर्धारण के कारण धनराशि ₹31474 के अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**

STAN

प्रस्तर:-1 राज्य की योजनाओं की धनराशि को बचत खाते मे जमा कर ब्याज को राजस्व खाते मे जमा नही किया जाना।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल(भीमताल) के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि समय समय पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु IDBI शाखा भीमताल मे खाता खोला गया। खाता संख्या-31198 की जांच मे पाया गया कि उक्त खाते का संचालन वर्ष 2014 से किया जा रहा था। तथा दिसंबर 2018 तक `355324/=ब्याज के रूप मे जमा किया गया। नियमानुसार उक्त धनराशि जल्द से जल्द राजकोष मे जमा की जानी चाहिए थी परंतु कार्यालय द्वारा ऐसा नही किया गया।

उक्त के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि ब्याज धनराशि जल्द ही राजस्व खाते मे जमा कर दी जाएगी।

अत: राज्य की योजनाओं की धनराशि को बचत खाते मे जमा कर ब्याज को राजस्व खाते मे जमा नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान लाया जाता हैं।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	152/2005-06	1	-	
2.	2001-03	-	1,2,3,4	
3.	06/2002-03/2001	-	1,2	
4.	5/99-5/2000	-	1,2,3	
5.	4/98-4/99	-	1,2,3	
6.	5/97-3/98	-	1,3	
7.	76/2012-13	-	1	
8.	28/2016-17	-	1, 1(STAN)	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तमकार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल (भीमताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) **विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

(ii) श्री पी0सी0 भण्डारी , मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल की सेवा पुस्तिका

2**.** **सतत् अनियमितताएं :**

(i)शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	
(1)	श्री पी0सी0 काण्डपाल	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	(06/2016 से 21/08/2017 तक)
(2)	श्री पी0एस0भण्डारी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	(22/08/2017 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल (भीमताल)** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2